

न्यायालय-अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-3 आजमगढ़

CNR NO.: -UPAZ01-005929-2020

राज्य बनाम अब्दुल रहमान आदि

सत्र वाद संख्या -195/2020

अपराध संख्या-89/2020

धारा- 308/34, 323/34, 504, 506 भा०द०सं०

थाना-मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

आरोप

मैं, अजय श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-3 आजमगढ़ अभियुक्त नोमान को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:-

प्रथम: यह कि दिनांक 17.05.2020 को समय 21:30 बजे वहद स्थान ग्राम असाऊर, थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़ में आप ने य की पूर्ति में वादी मुकदमा मु० खुर्शीद के भाई जमशेद को मु० अरशद की गली में लाठी डण्डा से मारकर स्वैच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप ने धारा 323/34 भा० द० सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीय: यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप ने सामान्य आशय की पूर्ति में आपराधिक मानवबध करने की नियत से ऐसे ज्ञान व आशय से वादी मुकदमा के भाई जमशेद को लाठी डण्डा से मारकर स्वैच्छया गम्भीर उपहति कारित किया यदि उक्त चोटों से उसकी मृत्यु कारित होती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानवबध के दोषी होते। इस प्रकार आप ने धारा 308/34 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीय: यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप ने सामान्य आशय की पूर्ति में वादी मुकदमा के भाई जमेशद को लोक शांति भंग करने के लिए प्रकोपित करने के आशय से गाली गुप्ता देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आप ने धारा 504 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थ: यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप ने वादी मुकदमा व उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप ने धारा-506 भा०द०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप पर आपका परीक्षण इस न्यायालय के द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक-15.07.2025

(अजय श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व परीक्षण की माँग की।

दिनांक-15.07.2025

(अजय श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-3, आजमगढ़
J.O.Code UP 2403